न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./145/2025/बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. लिच्छाराम पुत्र तिलाराम **बनाम** 1.रेखाराम पुत्र कलाराम वगैरह

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम वास्ते निर्णय

उपस्थितः–

1. वकील श्री सुरेश चौधरी अपीलांट/प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री वीरमाराम चौधरी रेस्पों. संख्या 01 से 05, 9,13 से 15,17 व 20 की ओर से
3. वकील श्री राणाराम गोड रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 की ओर से

–:निर्णयः–

दिनांकः–11.08.2025

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.1975 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना ही पारित किया गया जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में रद्दोबदल कर दिया है तत्समय अपीलांट को वाद के सम्मन तामील नहीं होने के कारण जानकारी नहीं हो सकी तथा उसके बाद अपीलांट्स मौके पर काबिज हो कर काश्त करने लगे तथा वाद के निर्णय के बाद उत्तरदातागण ने कभी भी कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया परन्तु वर्तमान में कुछ समय पूर्व रेस्पों. खेतु वगैरह ने अपने खेत की नेखमबंदी का आदेश करवाया तथा नेखमबंदी मेंवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा होना पाये जाने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट को बेदखल करने की धमकियां दी गई तथा मौके पर अपीलांट के कब्जे–काश्त की भूमि में हस्तक्षेप कर अपीलांट को जबरन लाठी के बल पर बेदखल करने का प्रयास किया जाने लगा। उक्त भूमि में उत्तरदातागण का हक–हिस्सा न्यायालय से प्राप्त होने का बताया जिस कारण अपीलांट को अपना हक–हिस्सा संशयप्रद लगा हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने न्यायालय जाकर पता करने को कहा जिस पर अपीलांट ने आलोच्य निर्णय की नकल को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 09.06.2025 को प्राप्त कर बिना देरी किये ही श्रीमानजी के अज अदालत में हस्तगत अपील पेश कर दी। वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे। वकील अपीलांट ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. 2021(4) DNJ(SC) Page No.-1167.

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. 2009 DNJ (SC) Page No.- 847.
3. 1998 AIR SCW Page No.-3139.
4. 2025(1)RRT Page No.- 73.
5. 2024(2)RRT Page No.-1240.
6. 2022(2)RRT Page No.-1137.
7. 2008(1)RRT Page No.- 1406.
8. 2004(2)RRT Page No.- 758.

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारम्भिक आपत्तियां पेश करते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में गलत तथ्यों का अभिकथन किया है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को करीबन 50 वर्षों की अत्यधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात् यह अपील पत्र पेश किया गया है उक्त 50 वर्षों की अवधि को माफ करने हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार के कोई वास्तविक कारण का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपील पेश करने हेतु देरी के कारण को माफ किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण संख्या 75/1975 का ज्ञान प्रारम्भ से ही अपीलकर्ता के पूर्वज मेहाराम को रहा है स्वयं मेहाराम अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर स्वयं पीठासीन अधिकारी के समक्ष वादग्रस्त भूमि उत्तरदातागण पूर्वज जुगता वगैरह की होना स्वीकार किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री का ज्ञान प्रारम्भ से ही अपीलकर्तागण के पूर्वज एवं तत्पश्चात् अपीलकर्ता स्वयं को रहा है। ऐसी दशा में अपीलकर्ता अपने पिता द्वारा किये गये कार्यों से पूर्णतया विबंधित है। अपीलकर्ता द्वारा पिछले 50 वर्षों में सैकड़ों बार राजस्व अभिलेखों की प्रतियां सरकार द्वारा जारी अनुदान की विभिन्न योजनाओं में प्राप्त कर प्रस्तुत की हैं एवं पटवार हल्का हर चार वर्ष की अवधि में वादग्रस्त खेतों की गिरदावरी बनाता है एवं स्वयं अपीलकर्ता के.सी.सी. ऋण उठाते है तथा प्रधानमंत्री बीज योजना के अन्तर्गत वर्ष में 3 बार अनुदान राशि उठाते हैं। जिससे यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि अपीलकर्ता को राजस्व रेकर्ड की पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से रही है। विधिनुसार अपीलकर्ता को 50 वर्षों के विलम्ब की अवधि का प्रत्येक दिन का समुचित एवं सद्भाविक विलम्ब स्पष्ट आवश्यक होता है परन्तु अपीलकर्ता द्वारा 50 वर्षों की अत्यधिक विलम्ब की अवधि का अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित नहीं किया है। ऐसी देशा में अपीलकर्ता की अपील घोर विलम्ब के साथ प्रस्तुत किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलकर्ता द्वारा अपनी खातेदारी जोत खेत खसरा संख्या 308/272 एवं अन्य खसरों का बंटवारा आपसी सहमति से दिनांक 08.05.2015 को किया गया है उक्त बंटवारे से भी अपीलकर्ता को राजस्व अभिलेखों का ज्ञान होना प्रमाणित है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने 50 वर्षों के असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिका
बाड़मेर

राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.1975 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। उक्त के सबंध में वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अवगत करवाया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा पर किसी अन्य व्यक्ति के अंगुष्ठ निशान हैं। न ही मेहा की किसी ने पहचान की थी। अतः यह आदेश विधि विरूद्ध है और विधि विरूद्ध आदेश की कोई म्याद नहीं होती है। इस पर रेस्पोडेन्ट वकील ने जवाब में कहा कि यदि अगुष्ठ निशान किसी और व्यक्ति के होते तो अपीलांट द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जानी चाहिये थी। मेहा के इकबालिया जवाब दावे पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। अपीलांट इकबालिया जवाब दावे का प्रस्तुत होना स्वीकार करते हैं। जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जिससे प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के पूर्वज मेहा द्वारा पेश इकबालिया जबावदावा के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 50 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

11/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर